सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 29, गुरूवार, *शाके 1946*- मार्च 20, 2025 *Phalguna 29, Thursday, Saka 1946- March 20, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र (ओ)

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, नवम्बर 08, 2024

संख्या प.2(63)वन/24 :-चूकिं इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ठ वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और निजि व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम**, (1953** का राजस्थान अधिनियम सख्यां **13)** की धारा **29** की उपधारा (**3)** के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (**29)** की उपधारा (**1)** के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में**,** राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-**4** के अनुबन्ध**,** पूर्वाक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होगें जो कि एतद्पश्चात् **रक्षित वन** (**Protected Forest**) कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ट शासन सचिव, **वन।**

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड	मौजा	खसरा न0	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विशेष विवरण
भरतपुर	कांमा	चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)	भूड़ाका	1	8.44	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न हैं।
				43	12.29	
कुल योग				**किता-02**	**20.73**	
भरतपुर	कांमा	चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)	बास करमूका	1	4.36	
				4	5.78	
				5	7.71	
				83	6.25	
				89	2.89	
कुल योग				**किता-05**	**26.99**	

भरतपुर	कांमा	चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)	रावतपुरा	1	10.76	
				2	0.67	
				4	0.99	
				5	0.01	
				6	0.15	
				171	0.32	
				172	4.77	
				187	1.22	
				187/406	0.07	
				188	0.29	
				189	0.94	
				400	0.22	
कुल योग				**किता-12**	**20.41**	
महायोग					**68.13**	

चौखाराम,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वनखण्ड : चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेन्ज या विस्तार : कांमा जिला : भरतपुर

क्र.सं	**स्तम्भ संख्या से**	**स्तम्भ संख्या तक**	**दूरी जरीब व कड़ियों में**		**दिशा**	**आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार**
			जरीब	**कड़ियां**		
चरण पहाडी पर्वत (मैंन)						
1	1	2	3	80	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	14	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
3	3	4	6	00	दक्षिण	सीधी रेखा
4	4	5	2	80	पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	3	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
6	6	7	4	90	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
7	7	8	2	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
8	8	9	2	40	दक्षिण	सीधी रेखा
9	9	10	1	10	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
10	10	11	5	40	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा

11	11	12	0	40	पूर्व	सीधी रेखा
12	12	13	2	10	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
13	13	14	0	40	पश्चिम	सीधी रेखा
14	14	15	11	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
15	15	16	0	70	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
16	16	17	3	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
17	17	18	0	90	पश्चिम	सीधी रेखा
18	18	19	5	20	दक्षिण	सीधी रेखा
19	19	20	6	90	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
20	20	21	0	40	पूर्व	सीधी रेखा
21	21	22	15	40	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
22	22	23	22	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
23	23	24	13	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
24	24	25	3	30	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
25	25	26	5	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
26	26	27	0	60	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
27	27	28	4	90	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
28	28	29	3	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
29	29	30	3	80	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
30	30	31	1	90	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
31	31	32	5	40	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
32	32	33	2	50	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
33	33	34	2	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
34	34	35	1	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
35	35	36	5	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
36	36	37	7	20	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
37	37	38	6	20	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
38	38	39	0	50	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
39	39	40	5	90	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
40	40	41	0	30	पश्चिम	सीधी रेखा
41	41	42	1	00	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
42	42	43	0	30	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
43	43	44	5	20	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
44	44	45	6	20	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
45	45	46	2	00	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
46	46	47	6	00	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा

47	47	48	0	20	पूर्व	सीधी रेखा
48	48	49	0	30	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
49	49	50	1	00	पूर्व	सीधी रेखा
50	50	51	12	40	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
51	51	52	1	00	पश्चिम	सीधी रेखा
52	52	53	2	70	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
53	53	54	0	50	पश्चिम	सीधी रेखा
54	54	55	6	50	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
55	55	56	0	60	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
56	56	57	2	60	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
57	57	58	0	30	पूर्व	सीधी रेखा
58	58	59	1	20	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
59	59	60	4	00	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
60	60	61	15	10	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
61	61	62	10	30	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
62	62	63	7	75	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
63	63	64	10	30	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
64	64	65	11	70	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
65	65	1	1	60	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
चरण पहाडी पर्वत (ए)						
1	1	2	14	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
2	2	3	4	10	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
3	3	4	13	50	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	5	5	80	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	4	20	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
6	6	7	4	90	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
7	7	8	23	80	उत्तर - पश्चिम	सीधी रेखा
8	8	1	24	40	उत्तर - पूर्व	सीधी रेखा

नोटः 1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती है।

2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।

3. दर्शाई गई माप नक्षे के अनुरूप है।

चौखाराम,

वन बन्दोबस्त अधिकारी

जयपुर।

अधिकार एवं रियायतों की संक्षिप्त सूची (1) वनखण्ड -चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)
रेंज-कांमा, तहसील-कांमा, जिला-भरतपुर
(सुविधाऐं राज्य शासन द्वारा कभी भी वापस ली जा सकती है)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते है।	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त है	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकड़ी के लट्ठे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवास-गृह	पशुशांलाएं विविध लकड़ियां
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)	चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए)	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए लकड़ी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्ठों में	गिरी लकड़ी का ईधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सूखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जडें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकड़ना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीः- वनखण्ड- चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए), में ग्रामवासियों को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं रहेगें।

चौखाराम,
वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी -चौखाराम

वाद क्रमांक-43/2016 निर्णय दिनांक - 24.05.2022

वन विभाग बनाम ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - भूडाका।

तहसील - कामां, जिला - भरतपुर।

विषय : जॉच हक हकूक ग्राम भूड़ाका - सुनवाई रक्षित वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) तहसील -कामां, जिला भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प कांमा में पेश हुई। वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29** के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत् एक विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र संख्या भाग **1** 'ख' दिनांक नवम्बर **27, 2009** में हुआ। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम-भूड़ाका तहसील कामां जिला भरतपुर के आराजी हाल खसरा नम्बर **1/8.00, 43/12.29** कुल किता **02** रकबा **20.29** हैक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्धघोषणा दिनांक- **26.02.2016** को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की और से क्षेत्रीय वन अधिकारी कामां श्री पवन कुमार उपस्थित हुये। उन्होने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-भूड़ाका के खसरा नम्बरान सम्मिलित किये जा रहे है में कोई मार्ग/आम रास्ता एवं देवस्थान नहीं है व ग्रामवासियों को कोई हक-हकुक नहीं हैं। पटवारी हल्का श्री जितेश कृष्ण तिवारी उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम-भूड़ाका से संबंधित राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी सम्वत **2074-77)** के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर **1/8.44, 43/12.29** कुल किता **02** रकबा **20.73** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड मण्डल वन अधिकारी भरतपुर ,राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में कोई आम रास्ता/सड़क व देवस्थान नहीं है।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेंज कांमा को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित्त होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्ारम भूड़ाका के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्वत् **2074-77** के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ग्राम भूड़ाका तहसील कामां जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर **1/8.44, 43/12.29** कुल किता **02** रकबा **20.73** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड जो कि मण्डल वन अधिकारी भरतपुर वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं वन विभाग उस पर अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर **1/8.44, 43/12.29** कुल किता **02** रकबा **20.73** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (3)** के

अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (1)** के अन्तर्गत वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को रक्षित वन गठन करने की अनुसंशा करता हूँ।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेन्ज कांमा, जिला भरतपुर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबधित उप वन संरक्षक, भरतपुर को भिजवाई जावें।

चौखाराम,
वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर
पीठासीन अधिकारी -चौखाराम

वाद क्रमांक-44/2016 निर्णय दिनांक - 24.05.2022
वन विभाग बनाम ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - बास करमूका।
तहसील - कामां, जिला - भरतपुर।

विषय : जॉच हक हकूक ग्राम बास करमूका- सुनवाई रक्षित वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) तहसील -कामां, जिला भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प कांमा में पेश हुई। वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29** के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत् एक विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र संख्या भाग **1 'ख'** दिनांक नवम्बर **27, 2009** में हुआ। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम- बास करमूका, तहसील कामां जिला भरतपुर के आराजी हाल खसरा नम्बर **1, 4, 5, 83, 89** कुल किता **05** रकबा **26.99** हेक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्धघोषणा दिनांक- **26.02.2016** को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की और से क्षेत्रीय वन अधिकारी कामां श्री पवन कुमार उपस्थित हुये। उन्होने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-बास करमूका के खसरा नम्बरान सम्मिलित किये जा रहे है में कोई मार्ग/आम रास्ता एवं देवस्थान नहीं है व ग्रामवासियों को कोई हक-हकुक नहीं हैं। पटवारी हल्का श्री जितेष कृष्ण तिवारी उपस्थित हुये उन्होंने बास करमूका से संबंधित राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी सम्वत **2074-77)** के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर **1/4.36, 4/5.78, 5/7.71, 83/6.25, 89/2.89** कुल किता **05** रकबा **26.99** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड, मकबूजा सरकार चारागाह के नाम वर्तमान राजस्व जमाबन्दी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी में कोई आम रास्ता/सड़क व देवस्थान नहीं है।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेंज कांमा को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित्त होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम-बास करमूका के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्वत् **2074-77** के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ग्राम-बास करमूका तहसील कामां जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर **1/4.36, 4/5.78, 5/7.71, 83/6.25, 89/2.89** कुल किता **05** रकबा **26.99** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड जो कि मकबूजा सरकार चारागाह के नाम वर्तमान राजस्व जमाबन्दी दर्ज रिकॉर्ड है एवं वन विभाग उस पर अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर **1/4.36, 4/5.78, 5/7.71, 83/6.25, 89/2.89** कुल किता **05** रकबा **26.99** हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पहाड को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (3)** के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (1)** के अन्तर्गत वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को रक्षित वन गठन करने की अनुसंशा करता हूँ।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेन्ज कांमा, जिला भरतपुर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबंधित उप वन संरक्षक, भरतपुर को भिजवाई जावें।

चौखाराम,
वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी , जयपुर
पीठासीन अधिकारी - (तनवीर सिंह शेखावत)

वाद क्रमांक-45/2016 निर्णय दिनांक - 16.07.2024
वन विभाग बनाम ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - रावतपुरा।
तहसील - कामां, जिला - भरतपुर।

विषय : जॉच हक हकूक ग्राम रावतपुरा- सुनवाई रक्षित वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) तहसील -कामां, जिला भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प कांमा में पेश हुई। वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29** के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत् एक विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र संख्या भाग **1** 'ख' दिनांक नवम्बर **27, 2009** में हुआ। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम- रावतपुरा, तहसील कामां जिला भरतपुर के आराजी हाल खसरा नम्बर **1, 171, 172, 187, 187, 187/406, 188, 189, 2, 4, 5, 6** एवं **400** कुल

किता **12** रकबा **20.41** हेक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्घधोषणा दिनांक- **26.02.2016** को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की और से क्षेत्रिय वन अधिकारी कांमा श्री पवन कुमार उपस्थित हुये, उन्होने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) के अन्तर्गत राजस्व ग्राम रावतपुरा के खसरा नम्बरान सम्मलित किये जा रहे है, में कोई मार्ग/रास्ता एवं देवस्थान नहीं है व ग्रामवासियां को कोई हक हकुक नहीं है, उक्त भूमि पर वन विभाग काबिज है। पटवारी हल्का श्री मुनेश कुमार उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम रावतपुरा से संबंधित राजस्व अभिलेख (जमाबन्दी सम्वत **2074-77)** के आधार पर बयान दर्ज कराये की मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर **1/10.76, 171/0.32, 172/4.77, 187/1.22, 187/406/0.07, 188/0.29, 189/0.94, 2/0.67, 4/0.99, 6/0.15, 400/0.22,** है**0** कुल किता **11** रकबा **20.40** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड मण्डल वन अधिकारी भरतपुर ,राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। व आराजी खसरा नं. **5** का रकबा **0.01** हैक्टेयर किस्म गै**0**म**0** चाह जो कि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त आराजी में कोई आम रास्ता /देवस्थान नहीं हैं।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेंज कांमा को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम रावतपुरा के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्वत् **2074-77** के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ग्राम रावतपुरा तहसील कांमा जिला भरतपुर के आराजी खसरा नम्बर **1, 171, 172, 187, 187/406, 188, 189, 2, 4 5, 6,** एंव **400** कुल किता **12** रकबा **20.41** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड जो कि मण्डल वन अधिकारी भरतपुर वन विभाग राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं वन विभाग उस पर अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर एवं रकबा **1/10.76, 171/0.32, 172/4.77, 187/1.22, 187/406/0.07, 188/0.29, 189/0.94, 2/0.67, 4/0.99, 5/0.01, 6/0.15, 400/0.22** है**0** कुल किता **12** रकबा **20.41** हेक्टेयर, किस्म गैर मुमकिन पहाड वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (3)** के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, राजस्थान वन अधिनियम **1953** की धारा **29 (1)** के अन्तर्गत वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) को रक्षित वन गठन करने की अनुसंशा करता हूँ।

वनखण्ड चरण पहाडी पर्वत (मैंन व ए) रेन्ज कांमा, जिला भरतपुर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबधित उप वन संरक्षक, भरतपुर को भिजवाई जावें।

तनवीर सिंह शेखावत,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।